

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02/विविध-07-33/13 ज.सं. 5790 / राँची, दिनांक : 1-10-13 /

शुद्धि पत्र

विभागीय अधिसूचना सं.-2449 दिनांक 30.04.13 के क्रमांक 56 पर अंकित श्री अजीत कुमार (जे 5135) के स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पदस्थापन स्थान कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल सरायकेला के स्थान पर कनीय अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-08, जमशेदपुर पढ़ा जाय।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-3547 दिनांक 29.06.13 के क्रमांक-11 पर अंकित श्री रुद्र नारायण सिंह (जे 5273) के स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पदस्थापन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका के स्थान पर कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका पढ़ा जाय।

3. अधिसूचनाओं की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

5790

राँची, दिनांक :-

1-10-13

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु इसकी 25(पचीस) प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव(प्र.)

ज्ञापांक :-

5790

राँची, दिनांक :-

1-10-13

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव(प्र.)

ज्ञापांक :-

5790

राँची, दिनांक :-

1-10-13

प्रतिलिपि:-माननीया विभागीय मंत्री(जल संसाधन) के आप्त सचिव(दो प्रतियाँ में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता (ग्रामीण विकास विभाग/नगर विकास विभाग/ लघु सिंचाई सहित)/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-01, 02, 06, 07/ब, 07/यो, एवं 08/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव(प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-23 / 2013..... / रॉची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत अधोवर्णित सारणी में अंकित कर्मीय अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति/ ए.सी.पी. योजना के तहत औपबधिक रूप से स्वीकृत प्रथम/ द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन/ नियुक्ति तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश संख्या	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000- 15200 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री विजय कुमार दास जे 9015 / 09.05.63 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.- 12, मानगो जमशेदपुर / 27.07.89			01.11.01		
2	श्री राघवदानन्द शर्मा जे 4895A / 14.02.52 / सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू/ 05.02.79	05.02.89	5564 / 27.08.90	09.08.99	05.02.03	

2. इन कर्मीय अभियंताओं के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए.सी.पी. योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान रायिव का अनुमोदन प्राप्त है।

हो/-
(मनोज कुमार)
अवर रायिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉची / मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चाडिल कम्पलेक्स जमशेदपुर / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, रॉची / अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल, गालूडीह / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल बुण्डू / कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं०-12, मानगो, जमशेदपुरको श्री विजय कुमार दास एवं श्री सच्चिदानन्द शर्मा, कनीय अभियंता का सेवापुस्त क्रमशः 02 एवं 03 भाग मूल के साथ / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

5798

रॉची, दिनांक :-

1-10-13

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (प्र०), प्रभारी प्रशाखा-02, / बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक 03 / सम्पुष्टि 06 24 / 2013 / रॉकी, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6996 दिनांक 07.12.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ 02 में अंकित कनीय अभियंता को सशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ 04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600 39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु. 7600 / को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600 39100, ग्रेड पे रु. 7600 / देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री महेन्द्र प्रसाद पंडित जै 4204 / 01.01.50 / लघु शिवाई प्रमंडल, बोकारो	06.02.76	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि सशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत सशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

हं/
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापक रॉकी, दिनांक :
प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हं/
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापक रॉकी, दिनांक :
प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, लघु शिवाई रॉकी / कार्यपालक अभियंता, लघु शिवाई प्रमंडल, बोकारो को श्री महेन्द्र प्रसाद पंडित, कनीय अभियंता का सेवापुरत (मूल) वार भाग के साथ / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हं/
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापक 5810 रॉकी, दिनांक : 3-10-13
प्रतिलिपि बायोडाटा कोषाग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉकी / वेब इन्फोर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हं/
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)